आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
19.05.17	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खूँटी** 1. दाखिल–खारिज रिवीजन वाद संख्या–43R15/04-05 डी0सी0टी0आर0 नं0–22R15/08-09 त्रिवेणी महतो ......अपीलकर्त्ता बनाम् आनन्द सिंह बड़ाईक वगैरह .... विपक्षी 2. दाखिल–खारिज रिवीजन वाद संख्या–47R15/04-05 डी0सी0टी0आर0 नं0–24R15/08-09 मुनीलाल साहु वगैरह ....अपीलकर्त्ता बनाम् आनन्द सिंह बड़ाईक वगैरह .... विपक्षी 3. दाखिल–खारिज रिवीजन वाद संख्या–49R15/04-05 डी0सी0टी0आर0 नं0–25R15/08-09 महावीर महतो ......अपीलकर्त्ता बनाम् आनन्द सिंह बड़ाईक वगैरह .... विपक्षी 4. दाखिल–खारिज रिवीजन वाद संख्या–50R15/04-05 डी0सी0टी0आर0 नं0–27R15/08-09 कैलाश महतो वगैरह ....अपीलकर्त्ता बनाम् आनन्द सिंह बड़ाईक वगैरह .... विपक्षी 5. दाखिल–खारिज रिवीजन वाद संख्या–54R15/04-05 डी0सी0टी0आर0 नं0–28R15/08-09 श्रीमति मुनिया देवी ....अपीलकर्त्ता बनाम् आनन्द सिंह बड़ाईक वगैरह .... विपक्षी	

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	6. दाखिल–खारिज रिवीजन वाद संख्या–57R15/04-05 डी0सी0टी0आर0 नं0–30R15/08-09 भुनेश्वर साहु ......अपीलकर्त्ता बनाम आनन्द सिंह बड़ाईक वगैरह ...... विपक्षी **<u>आदेश</u>** उपरोक्त अपील आवेदन अपीलकर्त्ता (1) त्रिवेणी महतो पिता नान्हक महतो साकिन कर्रा थाना कर्रा (2) मुनीलाल साहु पे0 बेचु साहु साकिन लकेन कर्रा थाना कर्रा (3) रामकेश्वर महतो पिता स्व0 हिरामन महतो साकिन कर्रा (4) श्रीमति जानकी देवी जौजे श्री लालदेव महतो साकिन बमरज्जा कर्रा (5) धनपत लाल कुण्डू पे0 स्व0 किशोरी लाल कुण्डू साकिन कर्रा (6) महावीर महतो पिता स्व0 रघुनाथ महतो (7) मनबोध महतो पिता स्व0 कन्दरू महतो (8) प्रमोद महतो पिता स्व0 जगतमन महतो (9) चुनीलाल महतो (10) बजीत महतो (11) अरविन्द महतो, पिता स्व0 सितु महतो ग्राम कर्रा थाना कर्रा (12) कैलास महतो (13) प्रकाश महतो (14) कृष्णा महतो पिता गणेश महतो (15) सीताराम महतो पिता इन्द्रा महतो ग्राम कर्रा थाना कर्रा (16) श्रीमति मुनिया देवी पति दुर्गाचरण कुण्डू (17) लखन साहु पिता गुलाब साहु (18) विनोद प्रसाद पिता स्व0 बैजु प्रसाद पति श्रीमति कुन्ती देवी (19) श्रीमति रेखा पुष्पा तोपनो पुत्री जोवाकिम गुड़िया (20) मीनकाशी गौंझू पिता स्व0 महेश गौंझू (21) भूपाल बड़ाईक, पिता–स्व0 जयनाथ सिंह, पति माना देवी (22) सुबोध प्रसाद पति मुनी देवी (23) जसवन्त तिड़ू पिता जयमसीह तिड़ू ग्राम कर्रा थाना कर्रा (24) भुनेश्वर साहु पिता स्व0 जलेश्वर साहु ग्राम लोकेल थाना कर्रा सभी जिला राँची वर्तमान जिला खूँटी द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी के द्वारा दिनांक 10.05.03 को दाखिल–खारिज अपीलवाद संख्या 06 / 2001–02 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है तथा सभी के द्वारा विलम्ब के लिए समयक्षांति आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। उपरोक्त छः वादो को दाखिल कर उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर, निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई तामिला प्रतिवेदन तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उभय पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा विस्तार पूर्वक बहस किया गया है। वाद संख्या 43R15/04-05 के अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा परित आदेश न्याय संगत नहीं है। विपक्षी का विवादित जमीन पर कभी भी दखल–कब्जा नहीं रहा है विवादित जमीन खतियानी रैयत	

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	झुनी बड़ाईक की माँ बदन बड़ाईकिन से 1954 में खरीदगी के बाद शांतिपूर्वक दखलकार है। जमीनदारी की समाप्ति के पश्चात् बिहार सरकार को मालगुजारी दिया गया तथा अब झारखण्ड सरकार को मालगुजारी दिया जा रहा है तथा अपीलकर्त्ता के पिता के नाम जमाबन्दी कायम है। अंचल अधिकारी के पंजी–II में भी अपीलकर्त्ता के पिता का नाम दर्ज है विपक्षी द्वारा अंचल अधिकारी, कर्रा के न्यायालय में दायर किया गया वाद संख्या–1 दाखिल–खारिज न० 203/2000–01 में दिनांक 30.07.2001 को खारिज कर दिया गया। विपक्षी का विवादित जमीन पर हक, दखल व सरोकार नहीं है अतः अपील वाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। वाद संख्या 47R15/04-05 के अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि विवादित जमीन मुकुन्द सिंह बडाईक पिता यदुनाथ सिंह बड़ाईक से खरीदी गई है तथा अपने नाम से दाखिल–खारिज कराकर मालगुजारी अदा किया जा रहा है जमाबन्दी भी अपीलकर्त्ता के पिता का नाम दर्ज है निम्न न्यायालय का आदेश खारिज करने योग्य है। अपीलकर्त्ता का दखल कब्जा है। मुकुन्द सिंह पिता यदुनाथ सिंह तथा धनपत लाल कुण्डू द्वारा दखल कब्जा के लिए माननीय मुंशिफ खूँटी के न्यायालय में T.S. No. 7/81 दायर किया गया जिसमें इनलोगो के पक्ष में आदेश पारित हुआ। तब से शांतिपूर्वक दखलकार है। विपक्षी द्वारा अंचल–अधिकारी, कर्रा के न्यायालयों में वाद संख्या म्युटेशन न० 203/2000–01 दायर किया गया था, जिसको दिनांक 30.07.2001 को अस्वीकृत कर दिया गया। अतः अपीलकर्त्ता द्वारा अपील स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। वाद संख्या 49R15/04-05 में अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज रघुनाथ महतो ने वर्ष 1934 में खाता न० 40, प्लॉट न० 294 रकवा 70 डीसमील जमीन बदन बड़ाईकिन जो खतियानी रैयत झुनी बड़ाईक की माँ से खरीदी गई है तब से दखलकार होकर मालगुजारी अदा किया जा रहा है तथा पंजी–II में भी रघुनाथ महतो के नाम जमाबन्दी चला आ रहा है। निम्न न्यायालय का आदेश न्याय संगत नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा के न्यायालय के वाद संख्या म्युटेशन नं0 203/2000–01 में दिनांक 30.07.2001 को खारिज कर दिया गया। विवादित जमीन पर काफी लम्बे समय से दखलकार है। अतः अपील स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। वाद संख्या 50R15/04-05 के अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया कि मौजा कर्रा, खाता नं0–41 प्लॉट न0 1069 रकबा 1.26 एकड़ जमीन के खतियानी रैयत झुनी बड़ाईक पिता चुरन बड़ाईक के नावल्द मृत्यु के पश्चात् उनके माता बदन बड़ाईकिन दखल में आयी। विवादित जमीन बदन बड़ाईकिन द्वारा सितु बड़ाईक पिता फिरू बड़ाईक को हस्तांतरित कर दिया गया। शंभु महतो ने विवादित जमीन सितु बड़ाईक से दिनांक 24.09.1965 में रजिस्ट्री पट्टा द्वारा खरीद की तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, कर्रा के न्यायालय में म्यूटेशन तथा पंजी–II में नाम दर्ज	

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	कराकर मालगुजारी अदा करते आ रहे है। शंभु महतो के चार पुत्र (1) केदार महतो (2) रामकेश्वर महतो (3) दुर्गा महतो (4) जगदीश महतो उक्त विवादित जमीन पर दखलकार हुए। अतः अपील स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। वाद संख्या 54R15/04-05 के अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि साकिन कर्रा जिला रांची वर्तमान जिला खूंटी के खाता न0 40 तथा 41 झुकी बड़ाईक के खतियान में दर्ज है जिसकी मृत्यु नावल्द हो गई उसके बाद उनकी माँ बदन बड़ाईकिन विवादित जमीन पर दखलकार हुई। बदन बड़ाईकिन खेती–बारी नहीं कर सकती थी अतः खाता न0 40 एवं 41 की जमीन को विभिन्न व्यक्तियों को बेच दी जिसमें सितु सिंह साकिन कर्रा थाना, कर्रा भी है। सितु सिंह खरीदगी के बाद दखलकार हुए तथा अपने नाम से नामान्तरण कराकर पंजी–II के नाम दर्ज करवाए। उसके बाद लहरू सिंह का नाम से नामानान्तरण हुआ जिसकी मृत्यु नावल्द हो गयी। उनकी विधवा का पुनः विवाह ग्राम पलमा थाना इटकी जिला रांची में हुई। विपक्षी का कभी भी इस विवादित जमीन पर दखल–कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनके नाम से नामान्तरण हुआ है वास्तव में अंचल अधिकारी, कर्रा के न्यायालय में वाद संख्या 203 / 2000–01 दायर किया गया जो कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 30.01.2000 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में दाखिल–खारिज वाद संख्या 6 / 2001–02 दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा वास्तविकता को जाने बगैर पंजी–II सुधार करने हेतु आदेश पारित कर दिया गया। निम्न न्यायालय का आदेश न्याय संगत नहीं हैं विपक्षी लहरू सिंह बड़ाईक साकिन कर्रा, थाना कर्रा का पुत्र है इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं उनकी मृत्यु नावल्द हो गई तथा उनकी विधवा का पुनः विवाह हुआ। विपक्षी के दखल–कब्जा से संबंधित भी कोई प्रमाण नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय पटना तथा झारखण्ड द्वारा आदेश पारित किया गया है कि पंजी–II में सुधार का अधिकार व्यवाहार न्यायालय को है। अतः अपील स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। वाद संख्या 57R15/04-05 के अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि यह अपील आवेदन म्यूटेशन अपील न0 6 / 2001–02 में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा दिनांक 10.05.03 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विवादित जमीन मौजा कर्रा खाता न0–40 प्लॉट न0–691 रकबा 6 डीसमील जमीन सुरज साहु पे0 स्व0 रामवृत साहु से तथा सुरज साहु ने उक्त जमीन सन 1951 ई0 में सुशीला कुंवर से खरीद की गई थी । सुशीला कुंवर ने उक्त जमीन बदन बड़ाईकिन द्वारा खरीदा गया था। जो खतियानधारी की माँ है। बदन बड़ाईकिन ने अपने नाम से अंचल अधिकारी, कर्रा के पंजी–II में दर्ज कराकर शातिपूर्वक दखलकार रही। निम्न न्यायालय का आदेश न्याय संगत नहीं है तथा खारिज करने योग्य है। विपक्षी विवादित जमीन पर कभी भी दखलकार नहीं रहे है। उक्त विवादित	

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	जमीन से संबंधित एक वाद माननीय मुंशिफ के न्यायालय, खूँटी में मुकुन्द सिंह एवं धनपत लाल कुण्डू द्वारा दायर किया गया जिसका वाद संख्या T.S. Case No.-7/81 था जो मुकुन्द सिंह एवं धनपत लाल कुण्डू के पक्ष में आदेश पारित हुआ। विपक्षी का विवादित जमीन में किसी प्रकार का हक, दखल–कब्जा नहीं है। विवादित जमीन की खरीदगी के बाद अपीलकर्त्ता द्वारा मकान बनाकर निवास किया जा रहा है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलकर्त्ताओं द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है:– 1. बदन बड़ाईकिन एवं रघुनाथ महतो के नाम निर्गत मालगुजारी रसीद। 2. दिनांक 08.02.1934 को निर्गत हुक्मनामा। 3. दिनांक 10.01.1954 को त्रिवेणी महतो के नाम निर्गत बण्डा पर्चा। 4. बदन बड़ाईकिन द्वारा नन्हक महतो को निर्गत हुक्मनामा। 5. नन्हक महतो के नाम निर्गत जमीनदारी रसीद। 6. नन्हक महतो के नाम निर्गत मालगुजारी रसीद। 7. त्रिवेणी महतो के नाम निर्गत बण्डा पर्चा। 8. माननीय मुंशिफ के न्यायालय के वाद संख्या T.S. No.-7/81 में पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि। इसके विपरित विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी के वाद संख्या म्युटेशन अपील न0 6/2001–02 में दिनांक 10.05.2003 को पारित आदेश के विरूद्ध छः अलग–अलग अपील वाद दायर किया गया जिसे अनुरोध पर छः वादों को एक साथ संलग्न कर सुनवाई हेतु रखा गया। उक्त अपील वाद साकिन कर्रा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के रिविजनल सर्वे खाता नं0 40 तथा 41 के अलग–अलग प्लॉटों पर जिसका कुल रकवा–9.59 एकड़ है। विवादित जमीन रिविजनल सर्वे में झुनी बड़ाईक पिता चतुरमान बड़ाईक के नाम से दर्ज हुआ। झुनी बड़ाईक के मृत्यु पश्चात् उनकी माता श्रीमति बदन बड़ाईकिन उक्त जमीन पर दखलकार हुई। मोसमात बदन के देखभाल उनके भतीजे लहरू सिंह बड़ाईक के द्वारा की गई। श्री लहरू सिंह बड़ाईक को रजिस्टर्ड डीड द्वारा दिनांक 01.03.1943 को विवादित जमीन बिक्री कर दिया गया तब से लगातार दखल–कब्जा में है। लहरू सिंह बड़ाईक के मृत्यु पश्चात् उनका पुत्र आनन्द सिंह तथा एक पुत्री कलावती देवी कानूनन दखलकार हुए। आनन्द सिंह अपने पुत्र एवं पुत्री के नाम से उत्तराधिकारी दाखिल–खारिज 203/2000–01 दायर किया गया जिसे अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.01 को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षीयों द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील दायर किया गया। अपीलकर्त्ताओं द्वारा विभिन्न प्लॉटों को श्रीमति बदन से मुकुन्द सिंह बड़ाईक से तथा सुरज साहु से खरीदी गई। बदन बड़ाईकिन द्वारा एक इंच जमीन भी अपीलकर्त्ताओं	

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	को नहीं बेचा गया है। सभी कागजात बनावटी है। अतः अपील अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है साथ में दिनांक 01.03.43 को लहरू सिंह बड़ाईक द्वारा बिक्री किया गया पट्टा मूल में दाखिल किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया बहस सुनने, दाखिल अपील आवेदन, निम्न न्यायालय के अवलोकन, दाखिल कागजातों तथा लिखित बहस के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय इस निश्कर्श पर पहुँचता है कि उपरोक्त खाता की सभी प्लॉटों का जिसका कुल रकवा 9.59 एकड़ है। अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या 203 / 2000–01 में दिनांक 30.07.2001 को आदेश निर्गत किया गया कि आनन्द सिंह बड़ाईक एवं कलावती देवी या इनके परिवार कर्रा थाना अन्तर्गत नहीं रहते है तथा इनका विवादित जमीन पर दखल कब्जा भी नहीं है जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा आनन्द सिंह बड़ाईक एवं कलावती देवी का आवदेन पत्र खारिज किया गया। विपक्षीगण कभी भी जमीन पर दखलकार नहीं हुए साथ ही अंचल अधिकारी, कर्रा के पंजी II में बदन बड़ाईकिन का नाम दर्ज कराकर शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं। आवेदकगण द्वारा विभिन्न तिथियों में जमीन अलग–अलग नाम से खरीदगी पट्टा द्वारा क्रय किया गया है। विपक्षी गण का दावा है कि वे दिनांक 01.03.1943 को बिक्री पट्टा द्वारा क्रय किया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा वर्ष 2000–01 में दाखिल खारिज करने हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे दखल कब्जा नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा नियमानुसार आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही होगा। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा परित आदेश को निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को एवं निम्न न्यायालय को सूचित करें। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 12/05/17 अपर समाहर्त्ता, खूँटी (हस्ताक्षर) 12/05/17 अपर समाहर्त्ता, खूँटी	